

भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त
आयकर भवन मकबूल आलम रोड, वाराणसी
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12AA(1)(b)(i) के अधीन आदेश

दिनांक : 06.03.2013

संस्था/न्यास Matri Shree Charitable Trust, Plot No 11, Navodit Nagar Extension, Mahmoorganj, Varanasi
पैन नं०-AADTM2795D

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12AA(1) की उपधारा (b) में निहित शक्तियों के तहत संस्था/न्यास Matri Shree Charitable Trust, Plot No.11, Navodit Nagar Extension, Mahmoorganj, Varanasi को आयकर अधिनियम की धारा 12ए के उद्देश्यों के लिए दिनांक 01.04.2012 से पंजीकृत किया जाता है। पंजीकरण निम्न शर्तों के तहत न्यायसंगत होगा।

- (1) संस्था/न्यास अपनी आय को पूरे या धार्मिक प्रयोजनों के लिए भारत में प्रयोग करेगी, जहाँ ऐसी आय भारत में ऐसे प्रयोजनों में प्रयोग किये जाने हेतु संचित की जाती है, वह उस परिणाम तक जिस तक इस प्रकार संचित की गई या अलग रखी गयी आय कुल आय का 15 प्रतिशत या अन्य कोई प्रतिशत जो समय-समय पर आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाएगा से अधिक नहीं होगी तथा यह आयकर अधिनियम की धारा 11(2) की शर्तों का पालन करेगी।
- (2) संस्था/न्यास अपने निवेश को आयकर अधिनियम की धारा 11(5) में निर्दिष्ट स्वरूप और पद्धति के अनुसार रखेगी।
- (3) यह आदेश व्यापार से उद्भूत किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। यह सिवाय उन परिस्थितियों को छोड़कर जबकि व्यापार संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाए एवं उस व्यापार की लेखा बहियां अलग से रखी जाए।
- (4) संस्था/न्यास आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत अपनी आयकर विवरणों दाखिल करेगी।
- (5) संस्था/न्यास अपने आय का कोई भी अंश किसी विशिष्ट धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लाभ हेतु प्रयोग नहीं करेगी।
- (6) संस्था/न्यास आयकर अधिनियम की धारा 13 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लाभ हेतु अपनी किसी आय या सम्पत्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं करेगी।
- (7) यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि संस्था/न्यास के किया कलाप उसके उद्देश्यों से भिन्न अथवा असंगत है अथवा संस्था/न्यास के किया कलाप प्रामाणिक (Genuine) नहीं रहे तो आयकर अधिनियम की धारा 12AA(3) के अन्तर्गत इस पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है।
- (8) धारा 12ए के अन्तर्गत की पंजीयन की वधता संस्था/न्यास का रजिस्ट्रार ऑफ साराइटी के यहाँ पंजीकरण की वधता पर ही मान्य होगा।

sd/

(डी०एन०मिश्रा)

आयकर आयुक्त, वाराणसी

फा० सं० आ०आ०/62/12ए/वाराणसी/126/2012-13

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

12/7/13

दिनांक 06.03.2013

1. सचिव/अध्यक्ष/न्यास, संस्था/ Matri Shree Charitable Trust, Plot No 11, Navodit Nagar Extension, Mahmoorganj, Varanasi
2. अपर/सयुक्त आयकर आयुक्त परिक्षेत्र I/II/III वाराणसी।
3. उप/सहायक आयकर आयुक्त परिक्षेत्र I/II/III वाराणसी को इस आशय के साथ संस्था/न्यास की धारा 12ए के अन्तर्गत पंजीकरण मात्र ही संस्था/न्यास का धारा 11 से 13 तक कर मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। संस्था/न्यास द्वारा दाखिल विवरणों तथा अन्य प्रपत्रों के आधार पर ही निर्धारण अधिकारी को इस परिणाम पर पहुंचना है कि संस्था/न्यास कर मुक्ति के लिए वांछित सभी शर्तों को पूरा करती है अथवा नहीं। उक्त दृष्टिकोण माननीय अपीलीय अधिकरण नई दिल्ली द्वारा भी मे० ज्योति प्रभा सोसायटी (ITA 2765/DEL/02) तथा विभिन्न मार्केटिंग समितियों के बाद में पारित आदेश में लिया गया है। यदि संस्था/न्यास भविष्य में कभी भी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 से 13 तक निहित सभी वांछित शर्तों को पूर्ण नहीं करती है तो कर मुक्ति देय नहीं होगी तथा 12ए (3) के अन्तर्गत उसका पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।



(डी०एन०मिश्रा)

आयकर अधिकारी (नं० 11)
कृत आयकर आयुक्त
वाराणसी



भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त
आयकर भवन, मकबूल आलम रोड, वाराणसी

आयकर अधिनियम 1961 का धारा : 80G(5)(vi) के अधीन आदेश

दिनांक : 06.03.2013

संस्था / न्यास Matri Shree Charitable Trust, Plot No.11, Navodit Nagar Extention, Mahmoorganj, Varanasi
पैन नं०- AADTM2795D

उपरोक्त विषय पर आपके आवेदन पत्र के सदर्थ में यह सूचित किया जाता है कि संस्था/न्यास Matri Shree Charitable Trust, Plot No.11, Navodit Nagar Extention, Mahmoorganj, Varanasi को दिया गया दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G(5)(vi) के अन्तर्गत दानदाता के पक्ष में करमुक्त होगा। बशर्ते कि उसकी रकम प्रावधान में निहित सीमा में हो और निम्नलिखित शर्तों का पालन किया गया हो

- (1) दानदाता को जारी की जाने वाली रसीद में उस आदेश की संख्या और तारीख व करमुक्ति किस कर निर्धारण वर्ष (वित्तीय वर्ष) से देय है, स्पष्ट लिखा हो।
- (2) आय एवं व्यय का हिसाब वार्षिक विवरण संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के पास निश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाये।
- (3) यह कर मुक्ति कर निर्धारण वर्ष 2013-14 (वित्तीय वर्ष 2012-13) से देय है।

Sd/-

(डी०एन०मि०)
आयकर आयुक्त, वाराणसी

फा० सं० आ०आ० / वारा० / 62/ 80जी / रजिस्टर फा० सं०- 142/2012-13

12171
2

दिनांक 06.03.2013

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) सचिव/अध्यक्ष/न्यास, संस्था/ Matri Shree Charitable Trust, Plot No.11, Navodit Nagar Extention, Mahmoorganj, Varanasi संस्था/न्यास के द्वारा आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रस्तुत किया गया था, अतः यह कर मुक्ति की कर निर्धारण वर्ष 2013-14 अर्थात् वित्तीय वर्ष 2012-13 से देय है।
- (2) संस्था/न्यास को यह सुनिश्चित कराना होगा कि संस्था/न्यास की प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष की आयकर विवरण, वार्षिक आय-व्यय के अभिलेखों के प्रति के साथ, संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में आयकर प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत जमा की जाय।
- (3) इसके अतिरिक्त यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संस्था/न्यास की आयकर विवरणी की जांच के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई जो संस्था/न्यास के मूल उद्देश्यों से भिन्न अथवा असंगत पाए गए अथवा संस्था/न्यास के किया कलाप प्रमाणिक नहीं रहे तो, आयकर आयुक्त को पूर्ण अधिकार होगा कि उक्त संस्था/न्यास को पूर्व में जारी आय की धारा 80G(5)(vi) के अधीन मान्यता को तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दे।
- (4) अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र I/II/III वाराणसी।
- (5) उप/सहायक आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र I/II/III वाराणसी को जो उपरोक्त संस्था/न्यास के आय एवं व्यय के वार्षिक लेखों की जांच करे कि बोर्ड के आदेश संख्या 3/फा० सं० 367/175/47/70/आइ०टी०ए० दिनांक 08.10.1972 के अनुसार सालाना प्रस्तुत करेंगे और यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित प्रत्येक वर्ष आयकर विवरणी समय से दाखिल कर रहा है। उसके अतिरिक्त आयकर विवरणी की जांच करने पर यदि निर्धारण अधिकारी द्वारा संस्था/न्यास के वार्षिक आय-व्यय लेखों के किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है जो संस्था/न्यास के मूलभूत उद्देश्यों से भिन्न अथवा असंगत है या संस्था/न्यास के कार्यकलाप प्रमाणिक नहीं हैं तो उसको आख्या अपनी टिप्पणी सहित अपनी परिक्षेत्र के अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त के माध्यम से यथा समय इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ताकि निम्नमानुसार आयकर आयुक्त द्वारा प्रदत्त आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-80G(5)(vi) के अधीन मान्यता रद्द की जा सके।

कायदा

(ओ०पी०सि०)

आयकर अधिकारी (मु०-11)
कृत आयकर आयुक्त,
वाराणसी

